



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082023-248185
CG-DL-W-19082023-248185

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2023, शनिवार/श्रावण 15—श्रावण 21, 1945
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2023, SATURDAY/SHARAVNA 15—SHARAVNA 21, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुकार्यकर्मचारीवृन्द (सफाई कर्मचारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

		<p>Organisation, (South Zone) Chennai - Member;</p> <p>3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.</p> <p>- Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Director, Central Drugs Testing Laboratory Chennai</p> <p>-Chairman;</p> <p>2. Deputy Drugs Controller (India) Central Drugs Standard Control Organisation, (South Zone) Chennai - Member;</p> <p>3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.</p> <p>- Member.</p>	
--	--	--	--

[F. No. A.12018/4/2020-DR-(PT.VI)]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय**[विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)]****(राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)**

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय (अनुरक्षण अधिकारी और स्टोर पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1993 को, जहाँ तक उनका संबंध अनुरक्षण अधिकारी से हैं, और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय (समूह 'ग' और 'घ' पदों) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रदर्शनी अधिकारी से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रदर्शनी अधिकारी	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹.35400 - 112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।</p>		<p>विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी—</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु 29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो।</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p> <p>(ii) कला या शिल्प संग्रहालय या अन्य संगठन या मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रदर्शनी या प्रदर्शन कार्य आयोजित करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रोन्नति: ऐसे विभागीय गाईड लेक्चरर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29,200 - 92,300) में उस श्रेणी में छह वर्षों की</p>	<p>(i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य</p> <p>(iii) मुख्यालय से उप निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य</p>
--	--	--	--

			<p>नियमित सेवा पूरी कर ली हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्त कि उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अनुरक्षण अधिकारी	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु.35400 - 112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक की छूट की जा सकती हैं।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रक्तियों को भरने के लिए अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज़ापक प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (रु 29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (ii) एक सरकारी संगठन में अधिमानतः एक संग्रहालय में रखरखाव कार्य या स्टोर खरीद या स्टोर हैंडलिंग में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 02/34/2022—एनसीएम एवं एचकेए]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

New Delhi, the 2nd August, 2023

G.S.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum (Maintenance Officer and Stores Supervisor) Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the post of Maintenance Officer, and the Development Commissioner for Handicrafts, National Handicrafts and Handlooms Museum (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the post of Exhibition Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Exhibition Officer and Maintenance Officer, in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Exhibition Officer and Maintenance Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Exhibition Officer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400–112400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By deputation (including short-term contract) or by promotion.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as below,- (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) two years experience in organising exhibition or display work in Arts or Crafts Museum or in other organisation or recognised institution. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Director (Museum) – Chairman; 2. Director (Handicrafts) – Member; 3. Deputy Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

			<p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Promotion: The departmental Guide Lecturer in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade and having the education qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors</p>		
--	--	--	--	--	--

			who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Maintenance Officer.	*01 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Bachelor's Degree from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for	Deputation (including short-term contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.	By deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Director (Museum) – Chairman; 2. Director (Handicrafts)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	successful of probation as prescribed by the Central Government.		<p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience,-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) two years experience in maintenance work or store procurement or store handling in a Government organisation preferably in a Museum.</p> <p>Note 1: Only officers of the Central Government or State Governments or Union territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>– Member;</p> <p>3. Deputy Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum</p> <p>- Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

[F. No. 02/34/2022-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध वीथी परिचर से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प) में वीथी परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, वीथी परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वीथी परिचर	*17 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके पचास वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निष्ठा-यक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	(i) आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) वांछनीय: किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)	उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,— (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/36/2022—एनसीएम और एचकेए (कंप्यूटर सं. 49600)]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

New Delhi, the 3rd August, 2023

G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016, in so far as they relate to the post of Gallery Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby

makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Gallery Attendant in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Gallery Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in pay matrix (4)
Gallery Attendant.	17 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900).

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and	(a) Essential: 10 th class pass from a recognised Board. (b) Desirable: One year experience of working in a museum or art gallery. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience

	Nicobar Islands and Lakshadweep.	are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	----------------------------------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, Grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Director (Museum) - Chairman; 2. Director(Handicrafts) - Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum - Member.	Not applicable.

[F. No. 02/36/2022-NCM&HKA(Comp. No.49600)]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध स्वागतकर्ता, अवर श्रेणी लिपिक (पुस्तकालय), भंडार लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में स्वागतकर्ता—सह—लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, स्वागतकर्ता—सह—लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्वागतकर्ता—सह—लिपिक	*03 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (19900—63200 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।

	होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा।	<p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे वीथी परिचर, बहुकार्य कर्मचारिवृंद और जिल्दसाज जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अर्हता है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा—</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारियों में से—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (11) के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हो।</p> <p>टिप्पण 1:—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <p>(i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) —अध्यक्ष;</p> <p>(ii) निदेशक (हस्तशिल्प) —सदस्य ;</p> <p>(iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी</p> <p>— सदस्य।</p>	
--	-------	---	---	---	--

			<p>टिप्पण 2:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3:—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वीथी सहायक	*03 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान और;</p> <p>(ii) संग्रहालय या समरूप संस्थान में प्रदर्शन या प्रलेखन में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) हस्तशिल्प का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: अहर्ताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के</p>

						पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश होगा।	सड़सठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं); तैंतीस प्रतिशत। प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्वागतकर्ता-सह-लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात संबंधित श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अर्हता है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारियों में से:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो और (ख) जो स्तंभ (11) के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) - अध्यक्ष; (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) - सदस्य; (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

			<p>टिप्पण 2:— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. गाइड लेक्चरर	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा।	<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे वीथी सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा—</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वा"ासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारियों में से—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (11) के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा,</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय)— अध्यक्ष;</p> <p>(ii) निदेशक (हस्तशिल्प)— सदस्य;</p> <p>(iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

			<p>परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं है तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2:— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सुरक्षा हवलदार	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण टिप्पण 1: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहर्ताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p>टिप्पणः</p> <p>सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) या आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सशस्त्र बल कर्मियों के पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) या आमेलन द्वारा—</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वा"ासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारियों में से—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजनः—</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण 1: केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन हेतु।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय)—अध्यक्ष;</p> <p>(ii) निदेशक (हस्तशिल्प)—सदस्य;</p> <p>(iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी— सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 02/25/2022—एनसीएम और एचकेए]

सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

New Delhi, the 3rd August, 2023

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016, in so far as they relate to the posts of Receptionist, Lower Division Clerk (Library), Store Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Receptionist-Cum-Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man in the Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Receptionist-Cum-Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Receptionist-Cum-Clerk	03 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200)	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	<p>Promotion: Gallery Attendant, Multi-Tasking Staff and Binder in level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix and who possess 12th Class pass qualification and have rendered three years regular service in respective grade rendered after the appointment thereto on regular basis.</p> <p>Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-1 of the pay matrix Rs. 18000-56900 or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for promotes under column (11).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short</p>	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director (Handicrafts)- Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	Not applicable.

			<p>of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Gallery Assistant	*03 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection	Not applicable	<p>Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognised University.</p> <p>Desirable: (i) knowledge of typing and computer knowledge and; (ii) one year experience in a museum or similar institute in display or documentation. (iii) Knowledge of handicrafts.</p> <p>Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

						<p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Two years for direct recruits.</p> <p>Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>Sixty-seven percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); thirty-three per cent. by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.</p>	<p>Promotion: Receptionist-cum-Clerk in level-2 of the pay matrix Rs. 19900-63200 and who possess 12th Class pass qualification and have rendered eight years regular service in respective grade rendered after the appointment thereto on regular basis.</p> <p>Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-2 of the pay matrix Rs. 19900-63200 or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for promotees under column (11).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Director (Museum)- Chairman; 2. Director (Handicrafts)- Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member. 	Not applicable

			<p>half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Guide Lecturer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200 – 92300).	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	<p>Promotion: Gallery Assistant in level-4 in the pay matrix Rs. 25500-81100 and who have rendered five years regular service in the grade rendered after the appointment thereto on regular basis.</p> <p>Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1.Senior Director (Museum)-Chairman; 2Director (Handicrafts)-Member;</p>	Not applicable.

			<p>Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 of the pay matrix Rs. 25500-81100 or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for promotees under column (11).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum-Member.</p>	
--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Security Man	*01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	12th class pass from a recognised Board. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for	By deputation (including short- term contract) or absorption or deputation or re- employment of Armed Force personnel failing which by direct recruitment.	Deputation (including short- term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:- (a) (i) holding analogous post on	Group Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Senior Director (Museum) -Chairman;	'C' (for Not applicable.

	successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		<p>regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-1 of the pay matrix Rs. 18000-56900 or equivalent in the parent cadre or Department and;</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Deputation or Re-employment:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p>Note 1: Only officers of the Central Government or State Government or Union Territories shall be eligible to be considered for appointment in absorption basis.</p> <p>Note 2: For re-employment of Armed Forces Personnel as per Department of Personnel & Training guidelines.</p> <p>Note 3: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>2. Director (Handicrafts)</p> <p>– Member;</p> <p>3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum– Member.</p>	
--	---	--	--	--	--

[F. No. 02/25/2022-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director